सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषयः— **जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2151/FP/UK/Others/40044/2019 दिनांक 14.03.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से 12 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गयी थी, जिसका निराकरण कर द्वारा प्रतिउत्तर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा हैः—

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	कमियों के पूर्णतः निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर आवश्यकतानुसार संशोधन करते हेये पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव वापस प्राप्त कर संशोधन कर प्रेषित किया जा रहा है।
2	उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या—1 व 2 के प्रतिउत्तर में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि उल्लंधन के फलस्वरूप प्रकरण पर सम्बन्धितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है।	अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 6371/14—2—578/74 दिनांक 26.06.1978 में उल्लेख किया गया है कि यदि लीजधारक जिलाधिकारी जनपद— नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण —पत्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को काई आपत्ति नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र एवं IOCL द्वारा प्रदान प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैं।
3	बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत लीज भूमि पर लीजधारक द्वारा किसान सेवा केन्द्र संचालित करने के स्थान पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत वन भूमि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में लीजधारक के विरूद्ध विभाग स्तर से क्या कार्यवाही की गयी।	अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 6371/14—2—578/74 दिनांक 26.06.1978 में उल्लेख किया गया है कि यदि लीजधारक जिलाधिकारी जनपद— नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण —पत्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को काई आपत्ति नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र एवं IOCL द्वारा प्रदान प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैं।

For- Agro Services & Filling Centre

Proprietor

4	बिन्दु संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या प्रभागीय वनाधिकारी से अपेक्षित है
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन किया जाना है।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या प्रभागीय वनाधिकारी से अपेक्षित है
6	प्रस्ताव में सलग्न प्रपत्र भाग–II में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 6371/14–2–578/74 दिनांक 26.06.1978 में उल्लेख किया गया है कि यदि लीजधारक जिलाधिकारी जनपद– नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण –पत्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को काई आपत्ति नहीं है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुकूल है।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या प्रभागीय वनाधिकारी से अपेक्षित है
7	बिन्दु संख्या 6 के अनुपालन में प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण किया जाना अपेक्षित हैं।	प्रस्ताव में संशोधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
8	बिन्दु संख्य 7 के अनुपालन में प्रस्ताव वापस प्राप्त करने के उपरान्त त्रुटि का निराकरण प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में किया जाना अपेक्षित हे।	प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
9	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों में दिनांक एवं संख्या अंकित कर सभी रिक्त स्थानों पर वांछित सूचना (विशेषकर जिलाधिकारी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों) भरी जानी है।	प्रस्ताव में संशोधित प्रपत्र–पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

For- Agro Services & Filling Centre

Proprietor

10	बिन्दु संख्या 9 के निराकरण की सूचना प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न की जानी है।	प्रस्ताव में ले–आऊट प्लान एवं मदवार विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
11	बिन्दु संख्या –10 के निराकरण की सूचना (एन0पी0वी0 दरों का प्रमाण–पत्र) प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न की जानी है।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या प्रभागीय वनाधिकारी से अपेक्षित है
12	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–46 में प्रेषित सूचना के अनुरूप (प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में) आवश्यक संशोधन किया जाय।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या प्रभागीय वनाधिकारी से अपेक्षित है

अतः उक्त प्रकरण में लगी आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिउत्तर मय संलग्नक 4 प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

दिनांकः– 02.05.2023।

For- Agro Services & Filling Centre

Proprietor